न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री अनूप सिह (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 02/2019

दायर दिनांक–12.03.2019

1. रामेश्वर पुत्र भगुता
2. बैरिसाल सिह पुत्र नारायण समस्त जाति– धाबाई निवासीगण ग्राम डूमरा तहसील नवलगढ

– प्रार्थीगण

बनाम

1. दुर्जनशाल पुत्र भरताराम
2. मगनाराम पुत्र भंवरा
3. महावीर प्रसाद पुत्र भंवरा
4. नरपत सिह पुत्र भंवरा
5. बलवीर सिह पुत्र भंवरा
6. सदा कंवर पुत्री भंवरा

   समस्त जाति– धाबाई निवासीगण ग्राम डूमरा तहसील नवलगढ
7. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा नवलगढ
8. बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैक शाखा कुमावास
9. भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़

–अप्रार्थीगण

वकील आवेदक : – श्री प्रदीप कुमार
वकील अनावेदक:–श्री आन्नदीलाल सैनी

<u>प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) उपधारा (1)काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

:: निर्णय :: दिनांक – 23/3/21

आवेदकगण की और से प्रा0 पत्र निम्नानुसार पेश किया गया:–

1. ग्राम डूमरा तहसील नवगढ़ की सरहद मे आराजी ख. नं. 915 रकबा 0.46 है0 प्रार्थी नं. 1 रामेश्वर के कब्जे काश्त व खातेदारी की है। भूमि खसरा नं. 952 रकबा 3.24 है0 प्रार्थी नम्बर 2 के बैरिसाल के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है।
2. अप्रार्थी नं. 1 दुर्जनशाल की भूमि खसरा नम्बर 909 रकबा 3.75 है0 प्रार्थी नं. 1 रामेश्वर के सींव जोड़ उत्तर दिशा मे स्थित है। अप्रार्थी नं. 1 की उक्त भूमि के पूर्व मे एक प्रचलन कदीमी रास्ता है जिसे नजरी नक्शे मे 'ए' से 'बी' बिन्दू के मध्य आडी लाल लाईनो से दर्शित किया गया है। प्रार्थीगण की इस रास्ते से होकर अप्रार्थी नम्बर 1 की भूमि मे से व प्रार्थी नं. 1 की भूमि खसरा नम्बर 915 रकबा 0.86 है0 की पूर्वी सीमा के सहारे व अप्राथी नम्बर 2 लगायत 6 की भूमि खसरा नम्बर 1165/915 रकबा 0.81 हैक्टर की पूर्वी सीमा के सहारे –सहारे प्रार्थी नम्बर 2 की भूमि खसरा नं. 952 तक पगड़ण्डी रही है। जिससे होकर प्रार्थीगण का अपने खेतो मे आवागमन होता रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

प्रार्थीगण की उक्त भूमि के मोटर, गोडी, ट्रेक्टर आदि का रास्ता नही होने से प्रार्थीगण को अपनी उक्त आराजी को काश्त करने मे व अनाज लाने ले जाने मे अनके परेशानियो का सामना करना पडता है। प्रार्थीगण को अपनी उक्त आराजी के लिए 12 फीट चोड़ा रास्ता की आवश्यक्ता है। प्रार्थीगण के पास उक्तआराजी मे आने –जाने के लिये कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नही है। इसलिए प्रार्थीगण को अप्रार्थी नं. 1 की भूमि खसरा नम्बर 909 रकबा 3.75 हैक्टर के पूर्वी दिशा की तरफ से जाने वाले प्रचलन के रास्ते से लेकर प्रार्थीगण को संलग्न नजरी नक्शे मे हरे रंग से दर्शित अनुसार ख. नं. 952 तक 12 फीट चौड़ा रास्ता किया जाकर उसे रास्ते के रूप मे रास्ते की भूमि को सिवायचक राजकीय दर्ज किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी नं. 1 अपनी भूमि खसरा नं. 915 की पूर्वी सीमा के सहारे प्रार्थी नम्बर 2 को बिना प्रतिकर के रास्ता देने को तैयार है व अप्रार्थी नम्बर 1 लगायत 7 को प्रार्थीगण उक्त रास्ते बाबत् न्यायालय द्वारा तैय प्रतिकर देने को तैयार है।

4. वर्णित आराजी न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार मे स्थित होने से सुनने का पुरा पुरा क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

इत्यादी पर प्रस्तुत प्रा0 पत्र बाद अवलोकन दर्ज पंजिका किया गया तथा नोटिस अनावेदकगण को जारी किये । अनावेदक सं. 1 की और से वकील श्री आन्नदी लाल सैनी वास्ते पैरवी उपस्थित हुये तथा अनावेदकगण सं. 2 लगायत 9 को बावजूद सम्यक तामिल अनुपस्थित रहने से इस प्रकरण मे उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रा0 पत्र का जवाब अनोदक सं. 1 की और से निम्नानुसार पेश हुआ:–

1. मद संख्या 1 अनुसार भूमि आवेदक सं. 1 व 2 की होना स्वीकार है।
2. मद संख्या 2 अस्वीकार है,उत्तरदाता की भूमि खसरा नं. 909 की दक्षिणी सीव के सहारे आवेदकगण के खते मे जाने के लिये रास्ता कभी प्रचलन मे नही रहा है।
3. मद सं. 3 जिन प्रकार से लिखी गयी है अस्वीकार है।
4. मद सं. 4 व5 कानूनी होने से उत्तर आवश्यक नही हैं।

इसके अतिरिक्त विशेष कथन निम्नानुसार प्रस्तुत किये:–

1. भूमि खसरा नं. 916,915/1165,915 अप्रार्थी संख्या 1 की पैतृक भूमि थी जिसकी पहले खातेदारी भगूता , रावता पिता पबूदान क नाम से थी जिसका खसरा नं. 377 तथा रकबा 26 बीधा 17 विश्वा था फिर भगूता व रावता ने बंटवारा कर लिया जिसे बंटवारे मे 377/1 भगूता के हिस्से मे आयी तथा 377/2 रावता के हिस्से मे आयी। पुराने खसरा नम्बर 377/1 के पहले ,खसरा नम्बर 965,966 व 967 बाद के नये खसरा नं. 913,914 व 915 कायम हुए एंव खसरा नम्बर 377/2 के नये नम्बर 916 कायम हुए।
2. प्रार्थी सं. 1व अप्रार्थी सं. 2 लगा. 6 एक ही परिवार के सदस्य है जिनका सजरा खानदान प्रस्तत किया है।
3. खसरा नं. 952 व 915 मे आवागमन हेतु सबसे निकटतम दूरी का रास्ता खसरा नं. 916 की दक्षिणी सींव से होकर नम्बर 1165/915 की पूर्वी सींव से होकर लगता है न की जबाबदाता की भूमि खसरा नं. 909 की दक्षिणी सींव से माननीय न्यायालय द्वारा भी रास्ते के संबध मे चाही गयी रिर्पोट मे भी खसरा नम्बर 915 व 952 मे रास्ता सबसे कम दूरी का रास्ता खसरा नं. 916 मे बताया गया है। जो खसरा नं. 909 की बजाय लगभग आधी दूरी पर है इसलिए जवाबदाता के विरूद्व आवेदन चलने योग्य नही है।

उपखण्ड अ... ...ारी

Scanned by CamScanner

प्रार्थीगण ने खसरा नं. 916 एंव खसरा नं. 1165/915 के खातेदारो को जानबुझकर पक्षकार ही नही बनाया है। इस नोन जोईण्डर ऑफ पार्टीज के आधार पर भी आवेदन चलने योग्य नही है।

5. खसरा नं. 916,915 पुराने खसरा नं. 377 से ही बने है जो वर्तमान खातेदारो के पूर्वज पावूदान की खातेदारी मे थे तथा खसरा नं. 916 से ही रास्ता सुगम एंव कम दूरी का लगता है इसलिए भी आवेदन खारिज होने योग्य है। अतः जवाब आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का आवेदन मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण के सम्बन्ध मे न्यायालय द्वारा रिर्पोट तहसीलदार 304 दिनांक 16/5/2019 प्राप्त की गई जिसके मुताबिक नजदीकी व कम दूरी के हिसाब से ख.नं. 916 की दक्षिणी सीमा के सहारे–सहारे रास्ता दिया जाना उचित है।

बहस पक्षकारान सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। मुताबिक राजस्व रेकार्ड ख.न. 909 रकबा 3.75 है0दुर्जनशाल पुत्र भरताराम जाति– धाबाई, ख.नं. 915 रकबा 0.86 है0रामेश्वर पुत्र भगुता जाति धाबाई , खं. नं. 1165/915 रकबा 0.81 मगनाराम ,महावीर प्रसाद, नरपत सिह बलवीर सिह पुत्र भंवरा सदा कंवर पुत्री भंवरा हिस्सा बराबर जाति धाबाई व ख.नं. 952 रकबा 3.24 है0बैरीसाल सिह पुत्र नारायन जाति– धाबाई राहिन राज ग्रा0 बैक घुमचक्कर नवलगढ़ के नाम दर्ज है। मुताबिक जवाब एंव रिर्पोट तहसीलदार नवलगढ़ अनुसार भी खं. नं. 909 की दक्षिणी सीमा के सहारे–सहारे व खं. नं. 915 व 1165/915 के पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे कोई पगडण्डी नही है। जहॉ से आवेदक 1 व 2 रास्ते की मांग कर रहे है वह दूरी ज्यादा है तथा खसरा नम्बर 909 का खातेदार प्रार्थी नं. 1 व 2 के नजदीकी परिवार के भी नही है। ख.नं. 916 रकबा 3.12 है. किस्म बा प्रथम के खातेदारी सीताराम पु. किशोर सिह ,भगवानी पत्नी किशोर सिह सीता देवी रेशमी सुनिता मैना देवी पुत्रियां किशोर सिह, गीता देवी पत्नी भोलाराम के नाम दर्ज है। जिसको इस प्रकरण मे पक्षकार नही बनाया गया है। आवेदकगण ख.नं. 916 रकबा 3.12 है. किस्म बा प्रथम के दक्षिणी सीमा के सहारे–सहारे भूमि खं. नं. 952 तक आ सकता है बाद मे भूमि ख.नं. 915 व 1165/915 को बिना प्रतिकर के रास्ता दे सकते है। खसरा नं. 916,915,1165/915 की भूमि पैत्रक भी है। अन्तर्गत धारा 251 ए का प्रावधान सुविधाजनक एंव नजदीकी रास्ता उपलब्ध करवाने का है जिसके अनुसार चाहा गया रास्ता नही है।

आदेश

अत प्रा0 पत्र मे चाहा गया रास्ता अन्य विकल्प की अपेक्षा कम सुगम एंव अधीक दूरी का होने से आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रा0 पत्र पोषणीय नहीं होने पर खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफतर हो।

(अमूप सिह)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner